



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-116

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269863 दिनांक 03/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ashok Kumar Meena S/o BABU LAL MEENA	श्री नगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बिरधी चन्द्र शर्मा	27	143.11 SQ. YARD	Private	ROYAL ENCLAVE Sector/Block-B	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना रायल एनक्लवे बी सिरोली के भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 143.11 व.ग. की लीज डीड दिनांक 13.05.2013 को श्री नगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बिरधी चन्द्र शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात श्री नगेन्द्र शर्मा द्वारा श्री अशोक बालानी पुत्र श्री धनश्याम दास बालानी को रजिस्टर्ड मुख्तयारनामा दिनांक 25.06.2025 एवं संशोधित मु.नामा दिनांक 10.10.2025 को नियुक्त किया गया है। तत्पश्चात श्री अशोक बालानी द्वारा श्री रकमकेश मीणा पुत्र श्री ओमप्रकाश मीणा को रजिस्टर्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

विक्रय पत्र दिनांक
12.11.2025 एवं
संशोधित रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
15.10.2025 के
द्वारा बेचान किया
गया है। तत्पश्चात
श्री रकमकेश
मीणा द्वारा श्री
अशोक कुमार
मीणा पुत्र श्री
बाबूलाल मीणा को
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
12.11.2025 के
द्वारा बेचान किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ashok Kumar Meena S/o BABU LAL MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।